रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072026-273988
CG-DL-E-02072026-273988

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 489] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948
No. 489] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 547(अ).— विकसित भारत—रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी–जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) अधिनियम, 2025 (2025 का 36) की धारा 33 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (त) और धारा 37 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विकसित भारत—रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी–जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) संक्रमणकालीन उपबंध नियम, 2026 के नाम से ज्ञात कतिपय नियमों के प्रारूप को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 397(अ), तारीख 22 मई, 2026 द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व उससे प्रभावित होने वाले संभाव्य व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियाँ 22 मई, 2026 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अब, अतः, केंद्रीय सरकार, विकसित भारत—रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी—जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) अधिनियम, 2025 की धारा 33 की उप-धारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (त) और धारा 37 की उपधारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ– (1) इस नियम का संक्षिप्त नाम "विकसित भारत—रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी–जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) संक्रमणकालीन उपबंध नियम, 2026" है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |

2. परिभाषाएँ – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क.) "अधिनियम" से विकसित भारत—रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी–जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) अधिनियम, 2025 अभिप्रेत है;

(ख). "संक्रमण तारीख" से अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा स्कीम की अधिसूचना की तारीख या राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के माध्यम से अंतरिम व्यवस्था के प्रारंभ की तारीख, जो भी पूर्वतर हो; अभिप्रेत है:

परन्तु यह कि ऐसी तारीख अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास के पश्चात की नहीं होगी;

(ग) "उपयोगिता प्रमाण-पत्र" से साधारण वित्तीय नियम, 2017 के अधीन विहित प्ररूप में राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रस्तुत वह प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि स्कीम के अधीन जारी की गई निधियों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है, जिसके लिए वे स्वीकृत की गई थीं।

(घ) इसमें प्रयुक्त अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियां तथा जो परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उन्हें दिए गए हैं।

3. वित्तीय दायित्वों का निपटान – (1) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) के अधीन स्वीकृत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अधीन सभी दायित्वों का राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार से सत्यापन किया जाएगा कि वे 30 जून, 2026 तक विद्यमान थीं।

(2) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस संबंध में स्थापित तंत्र के अनुसार, सम्यक सत्यापन के पश्चात् अनुज्ञेय दायित्वों के निपटान हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएं।

(3) राज्य सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) के अधीन अधिदेशित लेखा-परीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र, व्यय और दायित्वों के सत्यापन, पुनर्मिलान, लेखा-परीक्षा तथा रिपोर्टिंग से संबंधित सभी सम्यक कार्यप्रणालियों और प्रक्रियाविधियों को पूर्ण करने के द्वारा, इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगी:

परन्तु यह कि केंद्रीय सरकार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए तथा पर्याप्त कारणों के विद्यमान होने से उनका समाधान होने पर, उक्त अवधि को अतिरिक्त नब्बे दिन की अवधि तक बढ़ा सकेगी।

(4) केंद्रीय सरकार, इस संबंध में, स्थापित नियमों और कार्यप्रणालियों के अनुसार, केंद्रीय सरकार अनुज्ञेय दायित्वों के लिए अपने निधि के अंश जारी करेगी।

4. निधियाँ – (1) केंद्रीय सरकार इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 30 जून, 2026 तक विद्यमान दायित्वों की पूर्ति सहित, राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी स्कीम के प्रचालन के लिए निधि सहायता सुनिश्चित करेगी।

(2) अव्ययित अतिशेष राशि के केंद्रीय हिस्से को राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में लागू वित्तीय नियमों और कार्यप्रणालियों के अनुसार केंद्रीय सरकार को वापस प्रेषित किया जाएगा।

(3) अधिनियम के प्रारंभ होने पर, अधिनियम के अधीन मानक आवंटन हेतु वस्तुनिष्ठ मापदंडों से संबंधित नियमों के अंतिम रूप से बनाए जाने तक, केंद्रीय सरकार स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को अंतरिम आवंटन उपबंध कर सकेगी, जो ऐसे नियमों के अनुसार अवधारित अंतिम मानक आवंटन की सीमा के भीतर होंगे।

5. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी स्कीम के अधीन कार्य – संक्रमण तारीख पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी स्कीम के अधीन जारी सभी कार्यों को अधिनियम के अधीन आगे बढ़ाया जा सकेगा और उन्हें अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, जिसमें अधिनियम की धारा 22 में विनिर्दिष्ट निधि-साझाकरण पद्धति सम्मिलित है, जारी रखा जाएगा।

6. कर्मकार पहचान, अभिलेख और ग्रामीण रोज़गार गारन्टी कार्ड – (1) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी स्कीम के अधीन कर्मकारों के जॉब कार्ड, जिन्हें ई-केवाईसी के माध्यम से नवीकृत और सत्यापित किया जा चुका है, अधिनियम के अधीन रोज़गार प्राप्त करने के लिए विधिमान्य माने जाएँगे:

परन्तु यह कि जहाँ केंद्रीय सरकार, इस बात पर समाधान हो जाने पर कि ई-केवाईसी (e-KYC) कर्मकार के नियंत्रण से परे कारणों से पूर्ण नहीं की जा सकी है, वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है, वहाँ ऐसे मामलों में ऐसी रीति से प्रसंस्कृत की जाएगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित की जाय ।

(2) उप नियम (1) में वर्णित व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम और उस सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम के उपबंधों के अनुसार ग्रामीण रोज़गार गारन्टी कार्ड जारी नहीं किए जाते।

(3) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी स्कीम के अधीन रोज़गार माँग को पूरा करने के लिए आवश्यक सत्यापित दस्तावेज़ या अभिलेख तब तक विधिमान्य बने रहेंगे जब तक कि ऐसे दस्तावेज़ राज्य सरकार द्वारा अधिनियम और उस राज्य द्वारा अधिसूचित स्कीम के उपबंधों के अनुसार जारी नहीं किए जाते।

7. कानूनी गारन्टी – (1) संक्रमण तारीख के पश्चात् महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत रोज़गार की किसी भी माँग पर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विचार किया जाएगा।

(2) जहाँ किसी परिवार ने किसी वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी स्कीम के अधीन कितनी भी संख्या के दिनों के लिए पहले से रोज़गार का उपभोग किया हो, ऐसा परिवार उस वित्तीय वर्ष में अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गारन्टीकृत रोज़गार के दिनों के अतिशेष के लिए पात्र बना रहेगा।

(3) कार्यक्रम अधिकारी ऐसे रोज़गार के उचित समायोजन, समाधान और लेखांकन को सुनिश्चित करेगा।

8. जंगम और स्थावर आस्तियों का अंतरण – (1) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) के अधीन सृजित, उपाप्त या अनुरक्षित सभी जंगम और स्थावर आस्तियां अधिनियम के अधीन प्राधिकरणों को अंतरित हो जाएँगी।

(2) राज्य सरकार, स्कीम से संबंधित सभी जंगम और स्थावर आस्तियों की एक सूची तैयार करेगी तथा उसका अनुरक्षण करेगी, जिसमें ऐसी आस्तियों का विशिष्टियाँ तथा वह प्राधिकारी, जिसमें ऐसी आस्तियां, लागू विधियों, नियमों एवं उस सरकार की प्रक्रियाओं के अनुसार, अंतरित् या निहित हैं, का उल्लेख होगा।

(3) राज्य सरकार, इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर उक्त सूची केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी:

परन्तु यह कि केंद्रीय सरकार, लिखित रूप में कारणों को लेखबद्ध करते हुए तथा पर्याप्त कारणों के विद्यमान होने से समाधान होने पर, उक्त अवधि को 90 दिन से अनधिक ऐसी अतिरिक्त अवधि तक, जिसे वह उचित समझे, बढ़ा सकेगी |

परन्तु यह और कि ऐसी कोई भी व्यवस्था, साधारण वित्तीय नियम, 2017 के उपबंधों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले अन्य वित्तीय अनुदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होगी।

9. अभिलेख, डाटा और दस्तावेज़ – (1) मस्टर रोल, स्वीकृति आदेश, बिल, वाउचर, रजिस्टर, लेखा-परीक्षा फाइलें और कार्यवाहियाँ सहित सभी भौतिक अभिलेखों को संरक्षित किया जाएगा और अधिनियम के अधीन प्राधिकरणों को अंतरित किया जाएगा।

(2) प्रबंधन सूचना सेवा डेटा, भू-टैग किए गए फोटोग्राफ, बायोमीट्रिक डाटा, संदाय अभिलेख आदि सहित सभी डिजिटल अभिलेखों को स्थापित प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों के अनुसार प्रतिधारित और प्रबंधित किया जाएगा।

(3) संक्रमण के दौरान सरकार द्वारा जारी अभिलेख प्रतिधारण नीति के सिवाय किसी भी अभिलेख को नष्ट नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. जे-11015/2/2025-यू.एस.- आर. ई. –V]

रोहिणी रा भाजीभाकरे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Rural Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2026

G.S.R. 547(E).— Whereas the draft of certain rules to be called the Transitional Provisions under Viksit Bharat — Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी) Rules, 2026 were published, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (p) of sub-section (2) of section 33 and sub-section (5) of section 37 of the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB–G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी) Act, 2025 (36 of 2025) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development (Department of Rural Development) number G.S.R. 397 (E) dated the 22nd May, 2026 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 22nd May, 2026;

And whereas objections or suggestions received on the said draft rules have been duly considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (p) of sub-section (2) of section 33 and sub-section (5) of section 37 of the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB–G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी) Act, 2025, the Central Government hereby makes the following rules, namely:–

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Transitional Provisions under Viksit Bharat — Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB-G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी) Act, 2025(36 of 2025);

(b) "transition date" means the date of notification of the Scheme by the State Government in accordance with the provisions of section 3 of the Act, or the date of initiation of the interim arrangement by an order issued by the State Government, whichever is earlier:

Provided that such date shall not be beyond the six months from the date of commencement of the Act;

(c) "utilisation certificate" means the certificate, in the form prescribed under the General Financial Rules, 2017, furnished by the State Government or Union territory Administration certifying the utilisation of funds released under the Scheme for the purpose for which they were sanctioned;

(d) All other words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Settlement of financial liabilities.— (1) All liabilities under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme sanctioned under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), shall be verified by the State Government, as having existing up to the 30th June, 2026 .

(2) The State Government shall ensure that all necessary action is taken to settle the admissible liabilities, after due verification, in accordance with the established mechanism in this regard.

(3) The State Government shall submit audited utilisation certificate as mandated under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act of 2005 (42 of 2005), by completing all due processes and procedures relating to verification, reconciliation, audit, and reporting of expenditure and liabilities, within a period of one hundred and eighty days from the date of commencement of these rules:

Provided that the Central Government may, for reasons to be recorded in writing and on being satisfied that sufficient cause exists, extend the said period by a further period of ninety days.

(4) The Central Government shall release its share of funds towards the admissible liabilities as per the established rules and procedures of the Central Government in this regard.

4. Funds. - (1) The Central Government shall, subject to the provisions of these rules, ensure fund support for the operation of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in the States, including for meeting liabilities existing up to the 30th June, 2026.

(2) The Central share of unspent balances shall be remitted back by the State Government to the Central Government in accordance with the applicable financial rules and procedures in this regard.

(3) Upon commencement of the Act, pending finalisation of the rules relating to objective parameters for normative allocation under the Act, the Central Government may provide interim allocations to the States for implementation of the Scheme, which shall be within the final normative allocation determined in accordance with such rules.

5. Works under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. - All ongoing works under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme as on the transition date may be carried forward under the Act and shall be continued in accordance with the provisions of the Act, including the fund-sharing pattern specified in section 22 of the Act.

6. Worker identity, records and Gramin Rozgar Guarantee Cards. - (1) The Job cards of workers under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, which have been renewed and verified through the e-KYC, shall be considered valid to avail employment under the Act:

Provided that where the Central Government, upon being satisfied that e-KYC could not be completed for reasons beyond the control of the worker, considers it necessary to do so in the public interest, such cases may be processed in such manner may be decided by the Central Government.

(2) The arrangement mentioned in sub-rule (1) shall continue till the Gramin Rozgar Guarantee Cards, are issued by the State Government as per the provisions of the Act and the Scheme notified by that Government.

(3) The verified documents or records necessary to fulfil the employment demand under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme shall continue to be valid till such documents are issued by the State Government as per the provisions in the Act and the Scheme notified by that Government.

7. Statutory guarantee. - (1) Any demand for employment registered under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme after the transition date shall be considered in accordance with the provisions of the Act.

(2) Where a household has already availed employment for any number of days during the given financial year under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, such a household shall remain eligible for the balance of the guaranteed days of employment in that financial year, in accordance with the provisions of the Act.

(3) The Programme Officer shall ensure proper adjustment, reconciliation and accounting of such employment.

8. Transfer of movable and immovable assets. – (1) All movable and immovable assets created, procured or maintained under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), shall stand transferred to the authorities under the Act.

(2) The State Government shall prepare and maintain an inventory of all movable and immovable assets pertaining to the Scheme, containing the particulars of such assets and the authority in whom such assets stand transferred or vested, in accordance with the applicable laws, rules and procedures of that Government.

(3) The State Government shall furnish such inventory to the Central Government within a period of six months from the date of commencement of these rules:

Provided that the Central Government may, for reasons to be recorded in writing and on being satisfied that sufficient cause exists, extend the said period by such further period as it may deem fit, not exceeding ninety days:

Provided further that any such arrangement shall be in conformity with the provisions of the General Financial Rules, 2017 and such other financial instructions or guidelines as may be issued by the Central Government.

9. Records, data and documents. - (1) All physical records, including muster rolls, sanction orders, bills, vouchers, registers, audit files and proceedings shall be preserved and transferred to authorities under the Act.

(2) All digital records, including Management Information Service data, geo-tagged photographs, biometric data, payment records, etc., shall be retained and managed as per the established processes and procedures.

(3) No record shall be destroyed during transition except in accordance with the record retention policy issued by the Government.

[F. No. J-11015/2/2025-US- RE-V]

ROHINI R BHAJIBHAKARE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.07.02 00:56:53 +05'30'